ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
ANSARI NAGAR EAST, SRI AUROBINDO MARG
(GENERAL SECTION)

No.F. 6-1/2026 (Notif./Misc.) Dated: 25.08.2026

Subject: **Seeking agenda note/proposal for CIB/IB/GB/SFC – floating circular regarding.**

It has been decided to invite floating agenda items/proposals for CIB/IB/GB/SFC, all throughout the year and in this regard, all concerned are requested to submit their Agenda Notes/Proposals in the prescribed format. In view of this, the undersigned is directed to request all Chief of Centres/HoDs/Sections/Units (etc.) to submit their agenda note/proposals with due approval of the Competent Authority, in both hard copy and soft copy (MS Word format) in the prescribed format as available at the URL: *https://www.aiims.edu/images/pdf/notice/generalsect-12-5-17.pdf.*

2. The undersigned is also directed to draw attention of all concerned to the following requirements:-

i) A PowerPoint presentation consisting of not more than 03–04 slides shall also be **mandatorily** submitted alongwith the agenda note/proposal.

ii) The agenda notes/proposals received within the due cut-off date (respective), shall be taken up for consideration in the notified CIB/IB/GB/SFC meeting, as the case may be.

iii) Further, the proposals received after the due cut-off date shall be carry forwarded for consideration in the next CIB/IB/GB/SFC, without any exceptions.

iv) Due cut-off date for all CIB/IB/GB/SFC meetings shall be informed in advance and in accordance with the scheduling of meetings of CIB/IB/GB/SFC.

v) The agenda notes/proposals shall be **mandatorily** routed through the concerned nodal Departments/Sections have the sectoral charge of the subject matter concerned. For instance, all agenda notes/proposals on *"creation of permanent post"* shall be routed through Recruitment Cell only.

vi) All agenda items/proposals of SFC shall mandatorily have the comments of Sr. Financial Advisor.

vii) All agenda items/proposals of CIB/IB/GB/SFC shall mandatorily have the approval of Director(AIIMS) and also of Sr. F.A. wherever applicable.

viii) The soft copy of approved proposal may also be emailed to the undersigned at aiimsgeneral@gmail.com.

25/08/2026
(Rajkumar)
Asstt. Administrative Officer

Distribution:

1. All Chiefs of Centres.
2. All HoDs/Sections/Units etc.

Copy to (for information):

1. PPS to Director/ Dean (Acad/Research/Exam)
2. PS to Addl.Director(Admin.)/ Sr.FA/MS(H)/DS/ CAO/ SE
3. PIC (CF) with the request to upload in AIIMS website.

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
अंसारी नगर पूर्व, श्री अरबिंदो मार्ग
(सामान्य अनुभाग)

फा.सं.6-1/2026 (अधिसूचना/विविध) दिनांक: 25.08.2026

विषय: केन्द्रीय संस्थान निकाय/संस्थान निकाय/शासी निकाय/स्थायी वित्त समिति के लिए एजेंडा नोट/प्रस्ताव की मांग - परिपत्र जारी करने संबंधी।

यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय संस्थान निकाय/संस्थान निकाय/शासी निकाय/ स्थायी वित्त समिति के लिए पूरे वर्ष एजेंडा नोट/प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे और इस संदर्भ में, सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे अपने एजेंडा नोट/प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें। इसके मद्देनजर, अधोहस्ताक्षरी को निदेश दिया जाता है कि वे सभी केंद्रों के प्रमुखों/विभागों/अनुभागों/एककों (आदि) के अध्यक्षों से अनुरोध करें कि वे सक्षम प्राधिकारी के विधिवत अनुमोदन के साथ अपने एजेंडा नोट/प्रस्ताव, दोनों हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी (एमएस वर्ड प्रारूप) में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें, जो इस यूआरएल पर उपलब्ध है: *https://www.aiims.edu/images/pdf/notice/generalsect-12-5-17.pdf*।

2. अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित आवश्यकताओं की ओर भी सभी संबंधितों का ध्यान आकर्षित करने का निदेश दिया जाता है:-

i) एजेंडा नोट/प्रस्ताव के साथ अधिकतम 03-04 स्लाइड की पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी **अनिवार्य रूप से** प्रस्तुत की जाएगी।

ii) निर्धारित कट-ऑफ तिथि (क्रमशः) के भीतर प्राप्त एजेंडा नोट/प्रस्तावों पर स्थिति अनुसार अधिसूचित केन्द्रीय संस्थान निकाय/संस्थान निकाय/शासी निकाय/स्थायी वित्त समिति बैठक में विचार किया जाएगा।

iii) इसके अतिरिक्त, निर्धारित कट-ऑफ तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों को, बिना किसी अपवाद के, अगले केन्द्रीय संस्थान निकाय/संस्थान निकाय/शासी निकाय/स्थायी वित्त समिति में विचार हेतु आगे बढ़ाया जाएगा।

iv) सभी केन्द्रीय संस्थान निकाय/संस्थान निकाय/शासी निकाय/स्थायी वित्त समिति बैठकों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना पहले से ही दी जाएगी और यह केन्द्रीय संस्थान निकाय/संस्थान निकाय/शासी निकाय/स्थायी वित्त समिति की बैठकों के कार्यक्रम के अनुसार होगी।

v) एजेंडा नोट्स/प्रस्तावों को **अनिवार्य रूप से** संबंधित नोडल विभागों/अनुभागों के माध्यम से ही भेजा जाएगा, जिनके पास संबंधित विषय का क्षेत्रीय कार्यभार हो। उदाहरण के लिए, **"स्थायी पदों के सृजन"** से संबंधित सभी एजेंडा नोट/प्रस्ताव केवल भर्ती प्रकोष्ठ के माध्यम से ही भेजे जाएँगे।

vi) स्थायी वित्त समिति के सभी एजेंडा नोट/प्रस्तावों पर वरिष्ठ वित्त सलाहकार की टिप्पणियाँ अनिवार्य होंगी।

vii) केन्द्रीय संस्थान निकाय/संस्थान निकाय/शासी निकाय/स्थायी वित्त समिति के सभी एजेंडा नोट/प्रस्तावों के लिए अनिवार्य रूप से निदेशक (एम्स) तथा साथ ही वरिष्ठ वित्त सलाहकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा, लागू अनुसार।

viii) स्वीकृत प्रस्ताव की सॉफ्ट कॉपी नीचे दिए गए पते aiimsgeneral@gmail.com पर ईमेल भी की जाए।

राजकुमार
25/08/2026
(राजकुमार)
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

वितरण:

1. सभी केंद्रों के प्रमुखगण।
2. सभी विभागों/अनुभागों/एककों आदि के अध्यक्षगण।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1. निदेशक /संकायाध्यक्ष (शैक्षिक/अनुसंधान/परीक्षा) के प्रधान निजी सचिव
2. अपर निदेशक (प्रशासन)/ वरिष्ठ वित्त सलाहकार/ चिकित्सा अधीक्षक (अस्प.)/ उप-सचिव/ मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ अधीक्षण अभियंता के निजी सचिव
3. प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) इसे एम्स की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित